<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 15/2024 **दायर दिनांकः 11.12.2024**

उनवान

1. पवन आयु 19 वर्ष पुत्र रामकरण जाति सहरिया निवासी जेतपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0 मो0न0 8112281037

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनाकः— 17.02.2025

अभिभाषक प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम एवं माल गोविन्दपुरा, पटवार हल्का खेडलीगंज तह० अटरू जिला बारां (राज०) में खाता सं० 54 का खसरा नं0 134 उत्तर का रकबा 1.09 हे0 आराजी प्रार्थी के दर्ज खाता स्थित है नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी के लगवा अप्रार्थी के स्वामित्व की आराजी खाता सं0—129 का ख0नं0 134/477 का रकबा 0.11 हे0 बरानी—2, ख0नं0 133 का रकबा 5.74 हे0 किस्म चारागाह व ख०नं० 97/482 का रकबा 0.33 हे० गे०मु० रास्ता स्थित है जो राजस्थान सरकार के दर्ज खाता स्थित है। नकल जमाबन्दी अप्रार्थी एवं नक्शा ट्रेस साथ में सलंग्न है, जो काबिल गौर है। प्रार्थी अपने स्वामित्व की आराजी पर जाने के रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित ख0नं0 134 उत्तर का रकबा 1.09 हे0 कृषि भूमि में से अपने स्वयं के खेत तक जाने के लिये 9 मीटर चौड़े रास्ते के लिये सरकारी भूमि ख0नं0 134/477 ख0नं0 133 में से जाने वाली भूमि के बदले क्षतिपूर्ति के बदले अपने स्वामित्व की आराजी देने के लिये तैयार है। तथा सरकारी भूमि की नियमानुसार राशि जमा कराने के लिये तैयार है। 4. राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप—9) विभाग जयपुर शासन संयुक्त सचिव के परिपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक प 2 (63) राज. 9/2014 दिनांक 29/09/2014 के परिपत्र के अनुसार प्रार्थी द्वारा जितनी भूमि चारागाह में रास्ते हेतु ली जा रही है। उतनी ही भूमि स्वयं के खातेदारी भूमि में से चारागाह में दर्ज किये जाने का आवेदन करने पर चारागाह भूमि के बदले समर्पण की जाने वाली भूमि को चारागाह रिकार्ड दर्ज किया जावे। इसकी एवज में राजकीय चारागाह भूमि जिसमें रास्ता चाहा गया है कि भूमि में राजकीय रास्ता सार्वजनकि दर्ज किया जा सकता है। परिपत्र की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता माननीय न्यायालय प्रार्थी को उसके स्वामित्व की आराजी पर जाने हेतु रास्ता दिया जाना संभव नही है। अगर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थी अपने स्वामित्व की आराजी पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने से वंछित हो जावेगा। जिससे प्रार्थी समय पर अपने खेत को नही हंकवा सकेगा तथा प्रार्थी की आराजी पडत रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थी को अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पडेगा। इसके फलस्वरूप प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादो में उलझना पडेगा। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थी को अपने स्वामित्व की आराजी ख०नं० 134 उत्तर का रकबा 1.09 हे0 पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 134/477 का रकबा 0.11 हे0 बरानी–2 ख0नं0 133 का रकबा 5.74 हे० चारागाह की मेढ पर होकर A से B अंको से प्रदर्शित स्थाई रास्ता 9 मीटर चौडाई में दिलाया जावें। तथा प्रार्थी को उसके खेत पर पूर्व की भांति आने जाने का रास्ता A से B अंको से प्रदर्शित का उपयोग, उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें प्रार्थी सार्वजनिक रास्ते की एवज में चारागाह एवं अन्य किस्म की जमीन के बदले अपने स्वामित्व की आराजी देने के लिये तैयार है, तथा प्रार्थी रास्ते की मुआवजा राशि भी नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। विवादग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम व माल गोविन्दपुरा तह० अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका श्रेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यो पर आधारित है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित शुल्क पर पेश है, जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को ग्राम गोविन्दपुरा में प्रार्थी के स्वामित्व की प्रार्थना पत्र

की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता सं० 54 का ख0नं0 134 का रकबा 1.09 हे0 पर आने जाने व कृषि यन्त्र लाने ले जाने का स्थाई रास्ता 9 मीटर चौडा अप्रार्थी के ग्राम गोविन्दपुरा की आराजी खाता सं० 129 के ख0नं. 134/477 का रकबा 0.11 हे० बरानी–2 व ख0नं0 133 का रकबा 5.74 हे0 की मेढ पर होकर दिलाया जावें। प्रार्थी आम रास्ते की एवज में चारागाह व अन्य किस्म की जमीन के बदले अपने स्वामित्व की जमीन देने को तैयार है। तथा प्रार्थी रास्ते की मुआवजा राशि भी नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में A से B अंको से प्रदर्शित किया गया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार साहब को प्रदान करने की कृपा करें।

. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी से मौका रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी/तहसीलदार अटरू द्वारा कमांक/राजस्व/2025/12 दिनांक 03.01.2025 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम ग्राम व माल गोविन्दपुरा के खाता संख्या 54 ख0नं0 134 रकबा 1.09 है0 आराजी खाते दर्ज है। प्रार्थी के खेत से लगते कोई भी रिकोर्डेड रास्ता नही है। प्रार्थी के खेत से लगवा खाता संख्या 129 ख0नं0 134/477 रकबा 0.11 है0 किस्म बारानी 2, ख0नं0 133 रकबा 5.74 है0 किस्म चारागाह है जो अटरू–गोविन्दपुरा पिपलोद के मुख्य मार्ग से जुडता है।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को ग्राम व माल गोविन्दपुरा के खाता संख्या 54 ख0नं0 134 रकबा 1.09 है0 आराजी पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 134/477 का रकबा 0.11 हे0 बरानी–2 ख0नं0 133 का रकबा 5.74 हे० चारागाह की मेढ पर होकर A से B अंको से प्रदर्शित स्थाई रास्ता 9 मीटर चौडाई में दिलाया जावें तथा प्रार्थी को उसके खेत पर पूर्व की भांति आने जाने का रास्ता A से B अंको से प्रदर्शित का उपयोग करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें प्रार्थी सार्वजनिक रास्ते की एवज में रास्ता एवं अन्य किस्म की जमीन के बदले अपने स्वामित्व की आराजी देने के लिये तैयार है तथा रास्ते की मुआवजा राशि भी नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि यह रास्ता प्रार्थी की अति आवश्यकता है और पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः तर्क किया कि किसी काश्तकार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि (चारागाह) में होकर नया रास्ता चाहिए या किसी विद्यमान रास्ते को चौडा करना चाहता है तो राज्य सरकार के परिपत्र – राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–9) विभाग जयपुर शासन संयुक्त सचिव के परिपत्र क्रमांक प 2 (63) राज. 9/2014 दिनांक 29/09/2014 के परिपत्र के आधार पर रास्ता दिये जाने के प्रावधान है।

अभिभाषक प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। उपरोक्त बहस के प्रकाश में पत्रावली पर पेश दस्तावेजों एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना जहॉ

(क). कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख). कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है। यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात समाधान हो जाता है कि–

i- यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है, और

ii- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन/मार्ग का अभाव सिद्व किया गया है।

पुनः पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, बहस अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–9) विभाग जयपुर शासन संयुक्त सचिव के परिपत्र क्रमांक प 2 (63) राज. 9/2014 दिनांक 29/09/2014 के परिपत्र तथा रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया गया तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा [illegible] के खाते की ग्राम व माल गोविन्दपुरा के खाता संख्या 54 ख0नं0 134 रकबा 1.09 हे0 आराजी तथा अप्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ख0नं0 134/477 का रकबा 0.11 हे0 बरानी–2 ख0नं0 133 का रकबा 5.74 हे० चारागाह का मौका निरीक्षण किया गया। मौका स्थल के निरीक्षण तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

खेडलीगंज ग्राम गोविन्दपुरा के अनुसार प्रार्थी की आराजी ख0नं0 134 (बिन्दु A) तथा ख0नं0 133 किस्म चारागाह में बनी रोड (बिन्दु B) के मध्य ख0नं0 133 किस्म मै0मु0 चारागाह एक छोटी पट्टी के रूप में स्थित है तथा ख0नं0 134 व ख0नं0 133 के मध्य ख0नं0 134/477 एक संकरी पट्टी के रूप में स्थित है तथा प्रार्थी को खेत ख0नं0 134 तक पहुचने में कोई अवरोध नही है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–9) विभाग जयपुर श्रीमान शासन संयुक्त सचिव के परिपत्र क्रमांक प 2 (63) राज. 9/2014 दिनांक 29/09/2014 के अनुसार चारागाह भूमि में से रास्ते हेतु चारागाह भूमि के बदले भूमि देने पर सहमति देकर रास्ता चाहा है। उक्त परिपत्र के अनुसार खातेदार द्वारा अपनी जोत का संपरिवर्तन चाहे जाने पर चारागाह के बदले समर्पण हेतु निर्देश दिए गए थे।

राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.2(151)राज–3/2022 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा श्रीमान विशिष्ट शासन सचिव द्वारा निजी खातेदार को संपरिवर्तन के लिए पहुच मार्ग हेतु चारागाह भूमि में से रासता दिया जाना विधिसम्मत नही माना है।

उपरोक्त विवेचन, विवरण व विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपरोक्त वर्णित शर्तेः–

i- इस प्रकरण में आत्यांतिक आवश्यकता साबित नही होती है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए साबित होता है।

ii- इच्छित रास्ता अन्य खातेदार की जोत में से नही होकर चारागाह भूमि में से है तथा मौके पर रास्ता चालु होने के कारण वैकल्पिक मार्ग का अभाव भी साबित नही होता है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर ग्राम व माल गोविन्दपुरा के खाता संख्या 54 ख0नं0 134 रकबा 1.09 है0 आराजी के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आरटीएक्ट0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:27 IST
Reason: SelfAttested